भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2017/एनएफआर/20/1 **नई दिल्ली, दिनांक 10.01.2017**

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 3)

विषय: स्टेशनों पर ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम) से संबंधित नीति।

प्रस्तावना

माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट 2016-17 के दौरान घोषणा की थी कि "यद्यपि भारतीय रेल के साथ वास्ता रखने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तथापि हम किराए से इतर स्रोतों के जरिए 5% से भी कम राजस्व अर्जित करते हैं। विश्व की बहुत सी रेल प्रणालियाँ किराए से इतर स्रोतों से 10% से 20% राजस्व अर्जित करती हैं। अगले 5 वर्षों की अवधि में, हम परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करके और राजस्व उपार्जक अन्य कार्यों से इस विश्व औसत को हासिल करने का प्रयास करेंगे।"

उद्देश्य

उपर्युक्त घोषणा के अनुसार, स्टेशनों पर एटीएम से संबंधित एक नई नीति आवश्यक हो गई है। इस नीति का उद्देश्य निविदा देने में विभिन्न शर्तें निर्धारित करना और ए1, ए, बी, सी और डी कोटि के सभी स्टेशनों पर एटीएम स्थापित करना है। इस नीति को स्टेकहोल्डरों के लिए व्यवसाय के माहौल में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है। सामान्यतः, मंडल विनिर्दिष्ट स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार संविदाएं प्रदान करते रहे हैं जिन्हें जारी रखा जाएगा। इस नीति से रेलवे का राजस्व उपार्जन बढ़ाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जहां बड़ी संख्या में स्टेशनों के लिए दीर्घ कालीन संविदाएं दी जा सकती हैं।

नीति की मुख्य विशेषताएं

निविदा आमंत्रित करना

रेल मंत्रालय अन्य क्षेत्रीय रेलों की ओर से एटीएम निविदा प्रक्रिया के लिए एक नोडल क्षेत्रीय रेलवे नामित करेगा।

संविदा की अवधि

- भारतीय रेल दस वर्ष की अवधि के लिए स्टेशनों पर एटीएम संविदाएं प्रदान करेगा।

पात्रता

- लाइसेंस राष्ट्रीयकृत बैंकों/निजी क्षेत्र के किसी अन्य बैंकों या प्रबंधन का भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत सिस्टम प्रदाता के रूप में अधिकृत किसी व्यक्ति/संस्था को प्रदान किए जाएंगे।
- लाइसेंसधारी निविदा के साथ-साथ अपने दावे के समर्थन में संतोषजनक प्रमाण/दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

करार पर हस्ताक्षर

करार पर नोडल रेलवे द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि कार्य-निष्पादन का प्रबंधन जिस स्थान पर एटीएम स्थित है, उस स्थान से संबंधित मंडलों द्वारा किया जाएगा।

राजस्व का विनियोजन

आमदनी का विनियोजन एटीएम की संख्या के आधार पर प्रत्येक मंडल को विनियोजित किया जाएगा।

प्रतिभूति जमा एवं भुगतान

- लाइसेंस शुल्क का भुगतान संविदा पैकेज के अंतर्गत आने वाले सभी जोनों के संबंधित नोडल रेलवे को किया जाएगा। एटीएम आमदनी के विनियोजन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर सभी क्षेत्रीय रेलों को लाइसेंस शुल्क के वितरण के लिए नोडल रेलवे उत्तरदायी होगी।

- लाइसेंसधारी को अग्रिम राशि के समायोजन के बाद और संविदा शुरू होने से पूर्व करार पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वार्षिक लाइसेंस शुल्क के बराबर अग्रिम भुगतान करना अपेक्षित होगा।
- लाइसेंसधारी करार पत्र जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रतिभूति जमा के रूप में वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 10% भुगतान करेगा। प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। प्रतिभूति जमा को संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।
- लाइसेंसधारी सभी प्रकार का शुल्क/उपकर/कर, सेवाकर या किसी अन्य प्रकार का कर और मूल्यांकन, जो भी देय हो या इसके बाद उक्त एटीएम के परिचालन के संबंध में केन्द्रीय/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों को देय हो, भुगतान करेगा और ऑटोमेटेड टेलर मशीन व्यवसाय से संबंधित लागू देश के नियम/कानून का पालन करेगा।
- लाइसेंसधारी को 10% वार्षिक वृद्धि के साथ निविदा दस्तावेज में यथा उल्लिखित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित होगा।
- लाइसेंसधारी रेलवे को स्वीकृत लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान करेगा जिसमें विफल होने पर विलम्बित अवधि के लिए प्रति वर्ष 18% की दर से जुर्माने के रूप में परिनिर्धारित क्षति शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

<u>स्थापित करने और चालू करने की लागत</u>

- लाइसेंसधारी एटीएम स्थापित करने के सभी खर्चे वहन करेगा और वह सभी आवश्यक उपकरण मुहैया कराएगा। लाइसेंसधारी रेलटेल को भुगतान के आधार पर स्टेशन पर उपलब्ध रेलटेल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के माध्यम से एटीएम के लिए कनेक्टिविटी ले सकता है।
- लाइसेंसधारी बिजली लगाने का प्रभार, मीटर का किराया, प्रशासन को इस उद्देश्य के लिए लगाए गए मीटर के अनुसार विद्युत उर्जा की खपत का भुगतान करेगा जिसे जिस माह से संबंधित बिल है उस माह के अगले महिने की तीन तारीख को बिल का भुगतान करेगा।

<u>पैकेज</u>

- रेल मंत्रालय ऐसे स्टेशनों की कोटि एवं संख्या तय करेगा जिन्हें इस नीति के अंतर्गत निविदा के लिए प्रस्ताव किया जाएगा।

सामान्य निर्देश

लाइसेंसधारी को जिस स्थान पर एटीएम स्थित है उस संबंधित मंडल के मंडल प्राधिकारी अर्थात् वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/मंडल वाणिज्य प्रबंधक/सहायक वाणिज्य प्रबंधक या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत अन्य अधिकारियों या अधीनस्थ पदाधिकारियों के आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए और उसे उनकी जानकारी के बिना पत्राचार और संपर्क कार्य नहीं करना चाहिए।

- भारतीय रेल किसी नगदी की हानि, स्थापित करने अथवा उपकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। बहरहाल, लाइसेंसधारी को अपना स्वयं सुरक्षा कर्मचारी रखने की अनुमति होगी जिनके पास समुचित पहचान-पत्र/प्राधिकार-पत्र होगा।
- नोडल रेलवे संविदा के लिए पूर्ण संविदा प्रबंधक होगी और संविदा की अवधि के दौरान उत्पन्न सभी संविदा प्रबंधन मामलों का समाधान करेगा। बहरहाल, निष्पादन नीति में यथा निर्धारित संबंधित मंडल प्राधिकारी के आदेश से किया जाएगा।

आबंटित क्षेत्र, स्थान और अनुमोदन

- भारतीय रेल, किसी रेलवे स्टेशन पर एटीएम स्थापित करने के लिए 4 वर्ग मीटर (2 मीटर x 2 मीटर) का स्थान आबंटित करेगा।
- एटीएम का स्थान प्लेटफार्मों के शुरू से अंत तक होगा या स्टेशन के परिचलन क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर उपलब्धता के अनुसार होगा। उस स्थान पर किसी स्थाई संरचना की अनुमति नहीं होगी और केवल एटीएम और उसके परिधीय उपकरण जैसेकि पॉवर बैकअप आदि की अनुमति होगी। लाइसेंसधारी उक्त स्थान का उपयोग एटीएम के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारी अपने कार्य को आबंटित स्थान तक ही सीमित रखेगा और किसी भी प्रकार की चूक या चूक की शिकायत को "संविदा भंग" माना जाएगा।
- लाइसेंसधारी की सेवा दर्शाने वाले साइनेज के अलावा उस स्थान पर अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी।
- विभिन्न स्टेशनों पर प्रस्तावित एटीएम के लिए क्षेत्र का सीमांकन संबंधित स्टेशन प्रबंधक के साथ इंजीनियरी विभाग द्वारा किया जाएगा।
- लाइसेंसधारी को मंडल से अनुमोदित एटीएम संरचना के लिए ड्राइंग (मसौदा नक्शा) प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

- लाइसेंसधारी इस संविदा द्वारा दिए गए अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को बेच या किराए पर नहीं दे सकता और उसकी निबंधन एवं शर्तों में किसी प्रकार की चूक होने पर प्रतिभूति जमा जब्त होने के अलावा कोई सूचना दिए बिना संविदा समाप्त हो जाएगी।
- यदि एटीएम चालू होने से पूर्व इसे स्थापित करने का कार्य रद्द हो जाता है या निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्यान्वयन के दौरान संविदा समाप्त हो जाती है तो भारतीय रेलवे के पास निविदा/संविदा समाप्त करने और उस कार्य के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मध्यस्थता

- निविदा दस्तावेज/संविदा में निर्धारित विस्तृत नियमों/शर्तों के अनुसार मध्यस्थता की जाएगी।

एटीएम से संबंधित मौजूदा नीति

- एटीएम आबंटन से संबंधित मंडलों की मौजूदा नीति उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जारी रहेगी। यह नीति मंडलों द्वारा प्रदान दिए गए एटीएम के अलावा लागू होगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(आर. पी. ठाकुर)
कार्यपालक निदेशक(यातायात वाणिज्य)
गैर-किराया राजस्व
रेलवे बोर्ड

सं. 2016/एनएफआर/20/1

नई दिल्ली, दिनांक 10.01.2017

वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त
रेलवे बोर्ड